



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## दो जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.6.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

इस क्रम में थाना अटरिया व थाना रामपुर मथुरा की पुलिस टीमों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों से दो जिला बदर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवरण निम्न है-

**1.थाना अटरिया पुलिस द्वारा एक जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार-** अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी सिधौली के नेतृत्व में थाना अटरिया पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा दिनांक 12.2.21 से जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित किये गये जिला बदर अभियुक्त ज्ञानेंद्र यादव पुत्र रामकुमार यादव नि० हीरपुर थाना अटरिया सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 156/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**मु०अ०सं० 156/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना अटरिया सीतापुर

**अभियुक्त का नाम/पता-** ज्ञानेंद्र यादव पुत्र रामकुमार यादव नि० हीरपुर थाना अटरिया सीतापुर

**पुलिस टीम-** 1.उ०नि० श्री प्रमोद शंकर सिंह 2.हे०का० आनंद सिंह 3.हे०का० अरुण कुमार 4.का० विजय चौधरी 5.का० दीपक चाहर

**2.थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा एक जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार-** क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के नेतृत्व में थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित किये गये जिला बदर अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र नंदलाल नि० केशवापुर मजरा टिकठा थाना रामपुर मथुरा सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 243/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 243/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना रामपुर मथुरा सीतापुर

अभियुक्त का नाम/पता- ओमप्रकाश पुत्र नंदलाल नि0 केशवापुर मजरा टिकठा थाना रामपुर मथुरा सीतापुर

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री समय सिंह मय हमराहीगण

